



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 200]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 19 मई 2014—वैशाख 29, शक 1936

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 मई 2014

क्र. एफ-2-13-2011-छब्बीस-1.—निःशक्त व्यक्ति, [समान अवसर अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम, 1995 (1996 का अधिनियम संख्यांक 1)] की धारा 32 के अधीन निःशक्त व्यक्तियों के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 10 मार्च 2014 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा जारी अधिसूचना की अनुसूची-एक में उल्लेखित नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गई विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है:—

अनुसूची—एक

(1) नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

अनुसूची—दो

निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकन

विभाग का नाम (1) नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

श्रेणी	पद/संवर्ग	कुल स्वीकृत पद	सीधी भर्ती के पद	निःशक्तजनों के लिए 6 प्रतिशत पद	चिन्हांकित पद
द्वितीय	मुख्य नगरपालिका	107	53	3	2 अस्थि बाधित
श्रेणी.	अधिकारी “ख” श्रेणी.				1 श्रवण बाधित
तृतीय	मुख्य नगरपालिका	267	133	8	4 अस्थि बाधित
श्रेणी.	अधिकारी “ग” श्रेणी.				4 श्रवण बाधित

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरेन्द्र कुमार बाथम, सचिव,